रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062023-246811
CG-DL-E-26062023-246811

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443] नई दिल्ली, सोमवार, जून 26, 2023/आषाढ़ 5, 1945
No. 443] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 26, 2023/ASHADHA 5, 1945

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2023

भारतीय विधिज्ञ परिषद् सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (सत्यापन) नियम, 2015 का नया नियम 32:—

फा. सं. बीसीआई:डी:3430/2023.—सदन कानूनी पेशे के मानक में सुधार करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (सत्यापन) नियम, 2015 नियम 32 को निरस्त करके और उसकी स्थान पर नए नियम 32 को सम्मिलित करने की आवश्यकता महसूस करता है, ताकि सत्यापन की प्रक्रिया को नया रूप दिया जा सके और वास्तव में प्रभावी बनाते हुए आगे बढ़ाया जा सके। राज्य विधिज्ञ परिषद् के चुनाव में नकली लोगों और गैर–अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं को भाग लेने से रोकने के लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7 (1) (बी)(डी)(जी) के साथ पठित धारा 49(1)(ए), (एएच), (आई) के तहत नियम बनाए जा रहे है।

प्रासंगिक संशोधित नियम इस प्रकार होंगे:—

नियम 32 :—यदि गैर–व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान की प्रक्रिया में देरी या उनके प्रमाणपत्रों के सत्यापन में देरी या मतदाता सूची की तैयारी में देरी के कारण किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने की संभावना है तो उपरोक्त कारणों के मध्यनजर भारतीय विधिज्ञ परिषद् अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 8 के तहत राज्य विधिज्ञ परिषद् के निर्वाचित सदस्यों/और पदाधिकारियों को उनके विस्तारित कार्यकाल के बाद भी काम करना जारी रखने की अनुमति दे सकती है। ताकि सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गैर अभ्यास करने वाला अधिवक्ता मतदाता या किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् का सदस्य न बने।

राज्य विधिज्ञ परिषद् को भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा उनके कार्यकाल के विस्तार की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा और चुनाव की प्रक्रिया को 6 महीने की अवधि के भीतर पूरा करना होगा।

इस स्थिति में, यदि निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर सत्यापन और चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने में विफलता के मामले में, भारतीय विद्विज्ञ परिषद् राज्य विद्विज्ञ परिषद् को भंग कर सकती है और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 धारा 8ए के तहत विशेष समिति का गठन करने के लिए आगे बढ़ेगी।

पहले के नियम 32 को इसके द्वारा निरस्त किय जाता है।

विविध

कठिनाइयों का निवारण

इन नियमों के अर्थ, व्याख्या, निष्पादन के बारे में किसी भी संदेह या विवाद के मामले में, विद्विज्ञ परिषद् ऐसे मुद्दों को निपटाने के लिए अंतिम प्राधिकरण होगा और इसका निर्णय अंतिम होगा।

श्रीमंतो सेन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./224/2023-24]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2023

New Rule 32 of Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015: -

F. No. BCI:D:3430/2023.—The house in order to improve the Standard of Legal Profession further feels the need to repeal Rule 32 and insert new Rule 32 of Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015, so that, the process of verification could be revamped and made truly effective. The Rules are being framed under Section 7(1) (b)(d)(g)(e) read with Section 49(1)(a),(ah),(i) of the Advocates Act, 1961, for weeding out the fake people and the non-practicing Advocates from taking part in the elections of State Bar Council.

The relevant amended Rules shall be as follows: -

Rule 32. In case the term of elected members of any state Bar Council is likely to expire/expires due to delay in the process of identification of non-practicing advocates or verification of their certificates or delay in the preparation in the electoral roll for the election to the state Bar Councils due to the aforementioned reasons, the Bar Council of India may allow the elected members/and the office-bearers of the State Bar Council(s) to continue to function beyond their extended tenure under Section 8 of the Advocates' Act, 1961 in order to complete the process of verification and in order to ensure that no non-practicing Advocate becomes a voter or a member of any state Bar Council. The State Bar Council(s) shall be required to complete the process of verification within a period of 18 months from the date of extension of their tenure by the Bar Council of India and shall complete the process of election within a period of 6 months therefrom.

In case, of failure to complete the process of verification and the election within the said extended period as prescribed under this Rule, the Bar Council of India may dissolve the State Bar Council and shall proceed to constitute the Special Committee as provided under Section 8A of the Advocates Act, 1961.

The earlier Rule 32 is hereby repealed.

Miscellaneous

Removal of difficulties

In case of any doubt or dispute as to the meaning, interpretation, execution of these Rules arises, the Bar Council of India shall be the final authority to settle such issues and its decision thereon shall be final.

SRIMANTO SEN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./224/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.06.26 19:15:40 +05'30'